आ॰ प्र॰ ...
२/०५/२५

बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्र सं० –NHM/BHDS/48/2025-नि०वि०व्य०-25- / कृ०, पटना दिनांक/ 4/05/ ,2025

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

#अनौपचारिक रूप से परामर्शित #द्वारा– वित्त विभाग, बिहार, पटना।

विषय– **राज्य स्कीम मद से खरीफ प्याज का क्षेत्र विस्तार योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल 202.12500 लाख (दो करोड़ दो लाख बारह हजार पाँच सौ) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : स्वीकृत।

राज्य स्कीम मद से खरीफ प्याज का क्षेत्र विस्तार योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल 202.12500 लाख (दो करोड़ दो लाख बारह हजार पाँच सौ) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार में खरीफ प्याज का क्षेत्र विस्तार कर प्याज के कुल उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाकर कृषकों के आय में वृद्धि करना है।

3. योजना का कार्यान्वयन राज्य के कुल 18 जिलों यथा– बाँका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गोपालगंज, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, पटना, रोहतास, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, सीतामढ़ी, सिवान एवं वैशाली में किया जायेगा।

4. खरीफ प्याज की खेती माह जून–जुलाई में सफलतापूर्वक की जाती है। योजना का कार्यान्वयन अनुसूची–01 के अनुसार संबंधित जिले के सहायक निदेशक उद्यान द्वारा किया जायेगा।

5. यह अनुदान की योजना है, इसमें मानव दिवस का सृजन संभावित नही है।

6. खरीफ प्याज की खेती हेतु प्रति हेक्टेयर बीज दर 10 किलोग्राम है। प्रति किलोग्राम अनुमानित बीज मूल्य 2450.00 रूपये/वास्तविक बीज मूल्य दोनो में से जो कम होगा, पर कृषकों को बीज उपलब्ध कराया जायेगा। प्रति हेक्टेयर अनुमानित इकाई लागत बीज मूल्य सहित 24500.00 (चौबीस हजार पाँच सौ) रूपये मात्र पर 75 प्रतिशत यानि 18375.00 (अठारह हजार तीन सौ पचहत्तर) रूपये मात्र प्रति हेक्टेयर की दर से कृषकों को अनुदान दिया जायेगा।

7. खरीफ मौसम में प्याज के अनुसंशित प्रभेद का गुणवत्तायुक्त सत्यापित बीज किसानों को संबंधित जिला के सहायक निदेशक उद्यान द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। बीज की उपलब्धता राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, पटना/बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, पटना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

8. इस योजना का लाभ लेने हेतु किसानों का DBT पोर्टल पर पंजीकरण आवश्यक होगा। विभागीय वेबसाईट http://horticulture.bihar.gov.in पर उपलब्ध "योजनाओं का लाभ लेने हेतु आवेदन करें" लिंक पर Click कर Dashboard पर उपलब्ध ''खरीफ प्याज का क्षेत्र विस्तार योजना'' टैब पर Click कर ''आवेदन करें'' लिंक पर जाकर आवेदन किया जायेगा। योजना अन्तर्गत कृषकों का चयन ''पहले आओ पहले पाओ'' के आधार पर किया जायेगा।

9. प्याज की खेती मुख्य रूप से लघु एवं सीमांत कृषकों के साथ–साथ वैसे कृषक, जिनके पास जमीन नही है, पट्टे और बटाई की जमीन पर प्याज की खेती करने वाले कृषकों को एकरारनामा (अनुसूची–3) के आधार पर योजना का लाभ दिया जायेगा। इस योजना का लाभ न्यूनतम 0.25 एकड़ (0.10 हे०) तथा अधिकतम 5.0 एकड़ (2.00 हे०) तक का लाभ कृषकों को दिया जायेगा।

10. उद्यान निदेशालय द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से योजना का कार्यान्वयन कराया जायेगा।

11. संबंधित प्रखंड उद्यान पदाधिकारी द्वारा क्रियान्वित योजना का शत्–प्रतिशत, सहायक निदेशक उद्यान द्वारा 10 प्रतिशत एवं उप निदेशक उद्यान द्वारा 01 प्रतिशत भौतिक सत्यापन किया जायेगा।

12. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक–2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में अनुसूची–2 के अनुसार संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा कोषागार से BTC Form-42 पर CFMS के माध्यम से संबंधित किसानों को DBT in Kind के रूप में अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।

13. योजना हेतु 33–01 सब्सिडी विषय शीर्ष से स्वीकृत है, परन्तु इस शीर्ष में बजट उपबंध उपलब्ध नही है। उद्यान निदेशालय के लिए राज्य योजना मद में 31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन विषय शीर्ष में बजट उपबंध उपबंधित है, परन्तु इस विषय शीर्ष में वित्त विभागीय परामर्श अनुसार विभागीय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को राशि स्वीकृति/आवंटित करना नियमानुकूल नही होने के कारण निदेशक उद्यान द्वारा सहायक अनुदान वेतन मद में उपबंधित राशि को 33–01 सब्सिडी, 28–02 संविदा सेवाएँ मद एवं 13–01 कार्यालय व्यय मद में उपबंधित करने हेतु बजट पदाधिकारी–सह–उप सचिव, कृषि विभाग, बिहार से अनुरोध किया गया है। 33–01 सब्सिडी मद में वित्त विभाग द्वारा राशि उपबंधित होने के पश्चात् ही इस योजना हेतु स्वीकृत राशि का आवंटन, निकासी एवं व्यय किया जा सकेगा।

14. योजना संबंधित बजट उपबंध कोटिवार 78.537 : 20.00 : 1.463 के अनुपात में होने के कारण लाभुकों का चयन सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्रमशः अनुपात 78.537 : 20.00 : 1.463 में किया गया है।

15. योजना कार्यान्वयन के क्रम में यथावश्यक संशोधन प्रशासी विभाग द्वारा वित्तीय सीमा के अधीन किया जा सकेगा।

16. महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना को अंकेक्षण का अधिकार होगा।

17. योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक उद्यान, बिहार, पटना होंगे।

18. वित्तीय वर्ष 2025–26 में बजट उपबंध का विवरण निम्नवत् है :–

(राशि लाख रू० में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष 2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 119–बागवानी तथा वनस्पति फसलें, माँग संख्या–01, उप शीर्ष 0101– उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01-2401001190101,विषय शीर्ष 0101–33–01 सब्सिडी।	19084.49100	158.74291
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष – 00, लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या–01, उप शीर्ष – 0130 उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01-2401007890130, विषय शीर्ष 0130–33–01 सब्सिडी।	4860.00000	40.42500
मुख्य शीर्ष 2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष– 00, लघु शीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या–01, उपशीर्ष 0152 – उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01-2401007960152, विषय शीर्ष 0152–33–01 सब्सिडी।	355.50900	2.95709
कुल	**24300.00000**	**202.12500**
उद्यान निदेशालय के पत्रांक–431 दिनांक–18.04.2025 के द्वारा विषयशीर्ष 31–06 सहायक अनुदान गैर वेतन में उपलब्ध उपबंधित राशि को विषयशीर्षवार 33–01 सब्सिडी, 28–02 संविदा सेवाएँ मद एवं 13–01 कार्यालय व्यय मद में उपलब्ध कराने हेतु उप सचिव–सह–बजट पदाधिकारी, कृषि विभाग से अनुरोध किया गया है। उक्त अनुरोध के आलोक में विषयशीर्षवार राशि का उपबंध अनुपूरक आगणन के माध्यम से प्राप्ति होने के पश्चात् ही राशि का आवंटन, निकासी एवं व्यय किया जा सकेगा।		

19. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888 दिनांक–03.12.2024 तथा पत्रांक–201 दिनांक–13.03.2025 में निहित प्रावधान के आलोक में दिनांक 09.05.2025 को सचिव, कृषि की अध्यक्षता में आयोजित विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में अनुशंसा प्राप्त है। योजना प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर सचिव, कृषि का अनुमोदन संचिका संख्या NHM/BHDS/48/2025 के पृ0सं0–26/टि0 पर दिनांक–13.05.2025 को प्राप्त है।

20. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

21. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या NHM/BHDS/48/2025 के पृ0सं0–28/टि0 पर दिनांक–14.05.2025 को प्राप्त है, जिसका डायरी संख्या–311 दिनांक–14.05.2025 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(कल्पना कुमारी)
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-- NHM/BHDS/48/2025 /कृ०, पटना दिनांक ,2025

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– NHM/BHDS/48/2025-पी०जी०एम०-25- /कृ०, पटना दिनांक:14/05 ,2025

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/14/5

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– NHM/BHDS/48/2025-पी०जी०एम०-25- /कृ०, पटना दिनांक:14/05/ ,2025

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषगार, विकास भवन, पटना एवं सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/14/5

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– NHM/BHDS/48/2025-पी०जी०एम०-25- /कृ०, पटना दिनांक14/05/ ,2025

प्रतिलिपि : माननीय कृषि मंत्री के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना/सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, बिहार, पटना/अपर कृषि निदेशक, प्रसार, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/संबंधित उप निदेशक (शष्य)/संबंधित उप निदेशक उद्यान/संबंधित, जिला कृषि पदाधिकारी,/संबंधित सहायक निदेशक उद्यान/संबंधित अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/संबंधित उप निदेशक (शष्य) प्रक्षेत्र/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/वरीय प्रभारी पदाधिकारी, जैविक प्रोत्साहन कोषांग/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/14/5

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– NHM/BHDS/48/2025-पी०जी०एम०-25- /कृ०, पटना दिनांक:14/05/ ,2025

प्रतिलिपि : उप निदेशक (शष्य), सूचना, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित पदाधिकारियों तथा कोषागार पदाधिकारी को ई–मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

ह०/14/5

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

D:\YOGNA 2025-26\Mirnal Sastri Sir (Gaurav)\Sanction Order 2025-26 (202.12500).doc

अनुसूची–1

वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम मद से खरीफ प्याज का क्षेत्र विस्तार योजना का कार्य योजना

(भौतिक लक्ष्य हेक्टेयर में एवं वित्तीय लक्ष्य लाख रू० में)

क्र० सं०	अवयव	अनुमानित बीज का मूल्य/किलोग्राम (रूपये में)	बीज की आवश्यकता /हेक्टेयर (किलोग्राम में)	इकाई लागत प्रति हेक्टेयर/ 10 किलोग्राम (रूपये में)	इकाई लागत का 75 प्रतिशत अनुदान की राशि/हे० (रूपये में)	कुल भौतिक लक्ष्य	कुल वित्तीय लक्ष्य
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	खरीफ प्याज बीज का वितरण	**2450.00**	**10.00**	**24500.00**	**18375.00**	**1100**	**202.12500**
कुल योग					**18375.00**	**1100**	**202.12500**

(दो करोड़ दो लाख बारह हजार पाँच सौ रूपये मात्र)

पवन कुमार

निदेशक उद्यान, बिहार।

अनुसूची – 2

वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम मद से खरीफ प्याज का क्षेत्र विस्तार योजना का भौतिक एवं कोटिवार वित्तीय लक्ष्य विवरणी

(भौतिक लक्ष्य हेक्टेयर में एवं वित्तीय लक्ष्य लाख रू० में)

क्र० सं०	जिला/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य @0.24500 लाख रू०/ हे० (@ 75 %)	श्रेणीवार वित्तीय लक्ष्य			कुल वित्तीय लक्ष्य
				सामान्य @ 78.537%	अनुसूचित जाति @ 20%	अनुसूचित जनजाति @ 1.463%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सहायक निदेशक उद्यान, बाँका	10	1.83750	1.44312	0.36750	0.02688	1.83750
2	सहायक निदेशक उद्यान, बेगूसराय	120	22.05000	17.31739	4.41000	0.32261	22.05000
3	सहायक निदेशक उद्यान, भागलपुर	50	9.18750	7.21559	1.83750	0.13441	9.18750
4	सहायक निदेशक उद्यान, भोजपुर	50	9.18750	7.21559	1.83750	0.13441	9.18750
5	सहायक निदेशक उद्यान, बक्सर	50	9.18750	7.21559	1.83750	0.13441	9.18750
6	सहायक निदेशक उद्यान, दरभंगा	50	9.18750	7.21559	1.83750	0.13441	9.18750
7	सहायक निदेशक उद्यान, गोपालगंज	100	18.37500	14.43117	3.67500	0.26883	18.37500
8	सहायक निदेशक उद्यान, लखीसराय	50	9.18750	7.21559	1.83750	0.13441	9.18750
9	सहायक निदेशक उद्यान, मुजफ्फरपुर	50	9.18750	7.21559	1.83750	0.13441	9.18750
10	सहायक निदेशक उद्यान, नालन्दा	50	9.18750	7.21559	1.83750	0.13441	9.18750
11	सहायक निदेशक उद्यान, पटना	50	9.18750	7.21559	1.83750	0.13441	9.18750
12	सहायक निदेशक उद्यान, रोहतास	50	9.18750	7.21559	1.83750	0.13441	9.18750
13	सहायक निदेशक उद्यान, समस्तीपुर	100	18.37500	14.43117	3.67500	0.26883	18.37500
14	सहायक निदेशक उद्यान, सारण	100	18.37500	14.43117	3.67500	0.26883	18.37500
15	सहायक निदेशक उद्यान, शेखपुरा	50	9.18750	7.21559	1.83750	0.13441	9.18750
16	सहायक निदेशक उद्यान, सीतामढ़ी	20	3.67500	2.88623	0.73500	0.05377	3.67500
17	सहायक निदेशक उद्यान, सिवान	100	18.37500	14.43117	3.67500	0.26883	18.37500
18	सहायक निदेशक उद्यान, वैशाली	50	9.18750	7.21559	1.83750	0.13441	9.18750
	कुल योग	**1100**	**202.12500**	**158.74291**	**40.42500**	**2.95709**	**202.12500**

(दो करोड़ दो लाख बारह हजार पाँच सौ रूपये मात्र)

पवन कुमार

निदेशक उद्यान, बिहार।

अनुसूची–3
कृषि विभाग
उद्यान निदेशालय, बिहार।
(बिहार बागवानी विकास सोसाईटी)
खरीफ प्याज का क्षेत्र विस्तार योजना का लाभ लेने हेतु एकरारनामा
(गैर–रैयत कृषकं)
(विहित प्रपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि

1. मै...पिता / पति...

ग्राम...पोस्ट..पंचायत...

प्रखंड...................................जिला....................................का निवासी हूँ। मैंने प्याज की खेती हेतु कृषक श्री...पिता / पति...ग्राम.......................

पोस्ट..................................पंचायत...प्रखंड..

जिला...............................से खाता संख्या..........................खेसरा संख्या.......................रकवा............ जमीन बटाई / पट्टा पर प्राप्त किया है।

2. बटाई / पट्टा पर ली गई उपर्युक्त जमीन पर प्याज की खेती की जायेगी / की जा रही है।

3. उपर्युक्त सूचना सही है किसी प्रकार का विवाद होने पर उसकी सारी जबावदेही मेरी होगी, तथा मेरे विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जा सकता है।

कृषक का हस्ताक्षर

खेत के बगल के दो किसानों का नाम एवं हस्ताक्षर

(मोबाईल नं० सहित)

1 गवाह का नाम एवं पता	हस्ताक्षर
....	....
....	
2 गवाह का नाम एवं पता	हस्ताक्षर
....	....
....	

सत्यापनकर्ता (कृषि समन्वयक / प्रखंड उद्यान पदाधिकारी / प्रखंड कृषि पदाधिकारी)